

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 20.09.2023

10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 300 ग्राम नौशादर व 500 ग्राम यूरिया के साथ
अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के ब्रिकी एवं निष्कर्षण से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष एम्स मदन मोहन मिश्र के नेतृत्व में उ0नि0 अभिषेक कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र रविश प्रजापति निवासी कोनी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 300 ग्राम नौशादर व 500 ग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 140/2023 धारा- 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

सुरेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र रविश प्रजापति निवासी कोनी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 140/2023 धारा- 272 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम थाना एम्स जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 10 लीटर अवैध कच्ची शराब
2. 300 ग्राम नौशादर
3. 500 ग्राम यूरिया

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. का0 विकास यादव थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का0 सन्तोष कुमार सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. का0 संजय सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर